

Pre D.El.Ed Examination, 2019
प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2019
(Formerly Known as B.S.T.C)

सामान्य दिशा-निर्देश
हेल्पलाइन नम्बर : 0151-2226570

- E-mail : panjiyakpredeled2019@gmail.com
- वेबसाइट : (i) <http://education.rajasthan.gov.in/elementary>

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क इत्यादि	2-3
2	डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा, 2019 के लिए सामान्य निर्देश	4-6
3	परीक्षा आयोजन	7-8
4	पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा	9
5	आवेदक द्वारा घोषणा	10
6	आवण्टित अध्यापक शिक्षा संस्था/संस्थान में उपस्थिति के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की सूची	11
7	आवेदक हेतु अन्य निर्देश	12-13

**कार्यालय, समन्वयक, प्री डी0एल0एड0 परीक्षा, 2019 एवं पंजीयक,
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर**
शिक्षा निदेशालय परिसर, लालगढ़, बीकानेर-334001

Pre D.El.Ed Examination, 2019
प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2019
(Formerly Known as B.S.T.C)

अधिसूचना संख्या – 01/2019 दिनांक 08.03.2019

राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में D.El.Ed (सामान्य/संस्कृत), जो कि पूर्व में बी.एस.टी.सी कहलाता था, में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा, 2019 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

क्र.सं.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्रों की उपलब्धता	18 मार्च, 2019 से
2.	परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि	08 अप्रैल, 2019
3.	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	10 अप्रैल, 2019 को रात्रि 12:00 बजे तक
4.	प्रवेश परीक्षा	26 मई, 2019 दोपहर 2.00 से 5.00 बजे

(A.) पात्रता :

(v) शैक्षणिक योग्यता :

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे।

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	सामान्य	अनु. जाति/अनु. जनजाति	ओ.बी.सी. (अ.पि.व.) एवं एम. बी.सी.	दिव्यांग	सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा महिलाएं
डी.एल.एड. (सामान्य/संस्कृत), 2019 (Formerly Known as B.S.T.C)	50 %	45%	45%	45%	45%

- वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। (उदाहरण के लिए – यदि किसी सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में क्रमशः 49.99 प्रतिशत, 44.99 प्रतिशत अंक हैं तो वे अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अयोग्य होंगे।)
- जो आवेदक वर्ष 2019 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें काउन्सलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

- एम.बी.सी. एवं ई.बी.सी. के लिए छूट एवं आरक्षण इत्यादि के परिलाभ राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं नियमों के अनुरूप ही देय होंगे।

(B) आयु : आवेदक की आयु 01 जुलाई, 2019 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बन्धन नहीं है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों / नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी।

(C.) आरक्षण : प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा।

(D.) आवेदन प्रक्रिया :

1. आवेदन:- ऑनलाईन आवेदन हमारी वेबसाइट www.http://education.rajasthan.gov.in/elementary के माध्यम से किये जा सकेंगे।

- अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देय होगी।
- अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑन-लाइन पेमेंट डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑन-लाइन भुगतान के पश्चात् अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे।
- आवेदन पत्र ऑन लाईन ही स्वीकार्य होंगे, कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित न करें। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र / ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक कर उसका प्रिंट लें तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सम्भाल कर रखें, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा।

2. आवेदन शुल्क :-

- D.El.Ed. (सामान्य) अथवा D.El.Ed. (संस्कृत)- किसी एक पाठ्यक्रम हेतु रुपये 400/-
- D.El.Ed. (सामान्य) एवं D.El.Ed. (संस्कृत)- दोनों पाठ्यक्रमों हेतु रुपये 450/-
- नोट:-
- आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें।
- परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ यथा सम्भव SMS के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी। अतः आवेदक अपना सही मोबाईल फोन नम्बर भरें।
- कार्यालय समय : प्रातः 10.00 बजे से सायं 5 बजे तक (कार्य दिवस)
- हेल्पलाईन नम्बर : : 0151-2226570
- E-mail : panjiyakpredeled2019@gmail.com
- वेबसाइट : (i) <http://education.rajasthan.gov.in/elementary>

समन्वयक

डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा, 2019 के लिए सामान्य निर्देश

आवेदन सम्बन्धी अन्य निर्देश:-

- आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (अधिकतम 100 के.बी.) और हस्ताक्षर (अधिकतम 50 के.बी.) को अलग-अलग स्कैन कर JPG/GIF/BMP बनाएँ। आवेदक अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंकतालिका व प्रमाण-पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र, सब कटेगरी (विधवा/तलाकशुदा/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/टाडा सहरिया इत्यादि) प्रमाण-पत्र अपने साथ रखें।
- वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात् हार्ड कॉपी निकालकर घोषणा-पत्र एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित व सम्भाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात् काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा।
- अभ्यर्थी को डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र व घोषणा-पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख लेनी चाहिए, जिसे काउंसलिंग के पश्चात् प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी इन्हें अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी से अभ्यर्थी द्वारा जमा करायी गई हार्ड कॉपी का आवश्यकता पड़ने पर मिलान किया जायेगा।
- (ब) ऑन लाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपनी देख-रेख में सावधानी पूर्वक भरवाएँ। आवेदन-पत्र किसी अन्य जरिये, जैसे-साइबर कैफे ऑपरेटर आदि, द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण-पत्रों के अनुसार आवेदन-पत्र में सावधानी पूर्वक जाँचने के पश्चात् ही OK करें। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने प्रमाण-पत्र साथ रखें व उसी आधार पर प्रविष्टियाँ करें।
- (स) प्रवेश पत्र हमारी अधिकृत वेबसाइट www.http://education.rajasthan.gov.in/elementary अथवा इसके लिंक पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक इस कार्यालय की उक्त उल्लेखित वेबसाइट अथवा इसके लिंक पर चाही गयी सूचनाएँ प्रविष्ट कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के लिए कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जायेगा।
- ऑन लाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् भी यदि आवेदन-पत्र का प्रिंट/प्रवेश पत्र नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध हेल्प लाइन नम्बर पर सम्पर्क करें।
- जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) - सामान्य/संस्कृत प्रवेश परीक्षा, 2019 अल्पभाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हों, ऑन लाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें।
- समस्त प्रकार के सम्भावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर जिला न्यायालय रहेगा।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डानुसार होनी अनिवार्य है।
- प्रवेश के लिए आरक्षण प्रावधान राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार होगा।
- यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेश हेतु पात्र होगा। (अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जावेगा अन्यथा नहीं।
- जो आवेदक वर्ष-2019 में सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कि उच्च माध्यमिक का परीक्षा परिणाम निर्धारित काउंसलिंग की

दिनांक तक नहीं दिये जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।

- आवेदक की आयु **01 जुलाई, 2019** को **28** वर्ष से अधिक न हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों/ नियमों के अनुरूप ही आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी।
- ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष/अक्षमता हों, जो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डालें जैसे—गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्णरूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, जिससे श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना, जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं हैं अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे।
- राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण—पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही आवेदक दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
- आवेदक को राज्य के मूल निवासी (बोनाफाइड) होने का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम.) के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो। उक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
- राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/टाडा/सहरिया के प्रमाण—पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण—पत्र, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण—पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण—पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण—पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आदि के सम्बन्ध में जारी प्रमाण—पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमीलेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण—पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 03 वर्ष तक ही किया जा सकेगा।
- विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ—पत्र, जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, देना होगा।
- अभ्यर्थी के तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में न्यायालय की डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ—पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, देना होगा।
- आवश्यक प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए अन्यथा मान्य नहीं होंगे।
- राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा।
- सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उपायोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्यक्षीन ही देय होगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेंगी।
- सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।
- प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

- राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) में आरक्षण हेतु जारी दिशा-निर्देश मान्य होंगे, जिसकी जानकारी समय-समय पर अधिकृत वेब साइट से प्राप्त की जा सकेगी।
- अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं/संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे में नोडल एजेन्सी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्प संख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49 प्रतिशत सीटों पर भी सामान्य कोटे के प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्रवेश एजेन्सी द्वारा ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्था को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- प्री डी.एल.एड. परीक्षा में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क जमा करा कर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्प का चयन करें जिससे कि उनका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। महाविद्यालय आवंटन न होने की दशा में वे स्वतः ही इस प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। उनका काउंसलिंग शुल्क उचित प्रक्रिया द्वारा नियमानुसार लौटा दिया जावेगा।
- अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवाये तथा काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराते समय अपना खाता मय बैंक का नाम एवं IFSC सही एवं स्पष्ट अंकित करें जिससे कि काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा हो।
- प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) - सामान्य/संस्कृत प्रवेश परीक्षा, 2019 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दो चरणों में की जानी प्रस्तावित है। कुल सीट्स के 02 प्रतिशत से अधिक सीट्स रिक्त होने पर तृतीय चरण में भी काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। प्रत्येक चरण में अपवार्ड मूवमेन्ट द्वारा वरीयतानुसार अभ्यर्थियों के संस्थान/संस्था का स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) - सामान्य/संस्कृत प्रवेश परीक्षा, 2019 में राज्य सरकार के नियमानुसार (अ) विधवा एवं परित्यक्ता (ब) दिव्यांग (स्त्री व पुरुष) (स) एकल महिला (अविवाहित) का महाविद्यालय स्थानान्तरण काउंसलिंग द्वारा आवंटन पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त सीट्स पर किया जाना प्रस्तावित है। स्थानान्तरण की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑन लाइन प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाना प्रस्तावित है। स्थानान्तरण वरीयता के अनुसार ही किया जायेगा।

परीक्षा आयोजन

1. परीक्षा दिनांक 26 मई, 2019 (रविवार) को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दोपहर 2:00 से 05:00 बजे तक आयोजित की जावेगी।
2. परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति :- हमारी अधिकृत वेब साइट www.http://education.rajasthan.gov.in/elementary या लिंक से परीक्षा तिथि से 7 दिवस पूर्व डाउनलोड किये जा सकेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पूर्व आवश्यक रूप से पहुँच कर स्थान ग्रहण करना होगा।
4. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी Question Booklet प्राप्त कर, अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं हैं तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण Question Booklet तथा OMR Sheet को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें। इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
5. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
6. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् Question Booklet व OMR Sheet वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ें।
7. प्रश्न पत्र संरचना :- प्रश्न-पत्र चार खण्डों में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहु वैकल्पिक (Multiple Choice Type Questions) प्रकार के होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 03 अंक का है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा। प्रश्न पत्र संरचना निम्न प्रकार होगी :-

खण्ड	अ	ब	स	द		
				I	II	III
विषय	मानसिक योग्यता	राजस्थान की सामान्य जानकारी	शिक्षण अभिक्षमता	अंग्रेजी	संस्कृत	हिन्दी
प्रश्नों की संख्या	50	50	50	20	30	30
अंक	150	150	150	60	90	90

8. प्रश्न-पत्र सम्बन्धी सूचना :- Question Booklet में कुल 200 बहुवैकल्पिक (Multiple Choice Question) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र चार खण्डों (अ,ब,स,द) में विभक्त होगा। खण्ड 'द' तीन उपखण्डों (I-अंग्रेजी, II-संस्कृत एवं III-हिन्दी) में विभाजित होगा। खण्ड अ,ब,स एवं द का उपखण्ड I-अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। खण्ड 'द' का उपखण्ड II-संस्कृत भाग प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) - संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा तथा खण्ड 'द' का उपखण्ड III-हिन्दी भाग प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) - सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना आवश्यक है।
9. जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) - सामान्य एवं प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) - संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें खण्ड 'द' का उप-खण्ड II- संस्कृत भाग हल करना होगा।

10. परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक (Multiple Choice Question) होंगे तथा इनके सही उत्तर के लिए आपको दी गयी OMR Sheet के संबंधित प्रश्न संख्या के सामने अंकित A,B,C,D वाले गोले को ही काला/नीला करना होगा। अन्य स्थान को काला/नीला करने या A,B,C,D लिखने पर आपकी OMR Sheet का अंकन नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. OMR Sheet सम्बन्धी सूचना :-
- (अ) परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व OMR Sheet की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करें। अभ्यर्थी OMR Sheet में रोल नम्बर एवं Question Booklet नम्बर सावधानीपूर्वक सही अंकित करें और अपना रोल नम्बर प्रवेश पत्र से जाँच कर लिखें। अभ्यर्थी का परिणाम OMR मशीन द्वारा Answer Sheet में अपने द्वारा भरा गया Question Booklet नम्बर के आधार पर ही तैयार किया जावेगा।
- (ब) OMR Sheet चार खण्डों में विभक्त होगी। प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार "वैकल्पिक उत्तर" A,B,C,D के रूप में होंगे।
- (स) OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को **काले/नीले बॉल पाइंट पेन** से पूरा गहरा करें।
- (द) एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को काला/नीला करें, तथा रफ कार्य न करें।
- (य) गोले को ही काला/नीला करें, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले का अंकन नहीं होगा।
- (र) OMR Sheet का मूल्यांकन Scanning द्वारा होगा। अतः सम्पूर्ण गोला गहरा काला/नीला करें।
- (ल) परीक्षा समाप्ति के पश्चात् परीक्षार्थी OMR Sheet व Question Booklet वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करने के बाद ही अपना कक्ष छोड़ें।
- (व) Question Paper के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षा केन्द्र पर प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) पर्यवेक्षक को अपनी शिकायत लिखित में दें।

Pre D.El.Ed Examination, 2019
प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2019
(Formerly Known as B.S.T.C)

पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा

- अधिकतम अंक**
- (अ) **Mental Ability** (मानसिक योग्यता) – 50 प्रश्न **150 अंक**
Reasoning (तार्किक योग्यता), Analogy (दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता), Discrimination (विभेदीकरण), Relationship (सम्बन्धता), Analysis (विश्लेषण), Logical Thinking (तार्किक चिन्तन)
- (ब) **General Awareness of Rajasthan** (राजस्थान की सामान्य जानकारी)– 50 प्रश्न **150 अंक**
Historical Aspect (ऐतिहासिक पक्ष), Political Aspect (राजनैतिक पक्ष), Art, Culture and Literature Aspect (कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष), Economic Aspect (आर्थिक पक्ष), Geographical Aspect (भौगोलिक पक्ष), Folk Life (लोक जीवन), Social Aspect (सामाजिक पक्ष), Tourism Aspect (पर्यटन पक्ष)
- (स) **Teaching Aptitude** (शिक्षण अभिक्षमता) – 50 प्रश्न **150 अंक**
Teaching Learning (शिक्षण अधिगम), Leadership Quality (नेतृत्व गुण), Creativity (सृजनात्मकता), Continuous and Comprehensive Evaluation (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन), Communication Skills (संप्रेषण कौशल), Professional Attitude (व्यावसायिक अभिवृत्ति) Social Sensitivity (सामाजिक संवेदनशीलता)
- (द) **Language Ability** (भाषा योग्यता) – 50 प्रश्न
- I. English- 20 प्रश्न 60 अंक**
Comprehension, Spotting Errors, Narration, Prepositions, Articles, Connectives, Correction of Sentences, Kind of Sentences, Sentence Completion, Tense, Vocabulary, Synonym, Antonym, One Word Substitution, Spelling Errors.
- II. Sanskrit संस्कृत – 30 प्रश्न 90 अंक**
(केवल प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.)- संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए)
स्वर, व्यंजन, (उच्चारण स्थान), शब्द रूप (अकारान्त पुल्लिंग, अकारान्त स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग) धातुरूप (लटलकार, लोटलकार, लङ् लकार एवं विधिलिंगलकार), उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि (स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि), समास (तत्पुरुष, द्विगु एवं कर्मधारय समास), लिंग एवं वचन, विभक्तियां एवं कारक ज्ञान
अथवा
- III. Hindi (हिन्दी) – 30 प्रश्न 90 अंक**
शब्द ज्ञान-पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण (शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि), मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द।

आवेदक द्वारा घोषणा
(काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....(नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैंने प्री डी.एल.एड. (सामान्य)/ प्री डी.एल.एड. (संस्कृत) परीक्षा, 2019 से सम्बन्धित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क को लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण सम्बन्धी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2019 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूँगा/भेजूँगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र केवल बीकानेर शहर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
(ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर समन्वयक कार्यालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो समन्वयक को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
(स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिए न्यायिक अधिकार बीकानेर शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमीलियर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकता 3 वर्षों तक ही किया जा सकेगा।
6. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र को किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
7. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट www.http://education.rajasthan.gov.in/elementary अथवा लिंक से ही डाउनलोड करूँगा/करूँगी।
8. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन प्रवेश देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
9. मेरे द्वारा ऑन लाइन प्रार्थना में दी गई जानकारियों को मेरे दस्तावेजों से सावधानीपूर्वक मिलान/जांच कर सही पाया गया है।
10. मैं इस तथ्य से भलीभाँति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज प्रवेश के समय प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
11. काउंसलिंग में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्था में प्रवेश नहीं लेने पर मेरी प्रवेश पात्रता स्वतः रद्द हो जायेगी।

दिनांक.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

फोन नं. मय कोड.....

मोबाइल नं.....

सत्यापन

मैं (अभ्यर्थी का नाम).....निष्ठापूर्वक सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में अंकित सभी कथन/तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। यदि कोई तथ्य का छुपाया जाना प्रमाणित होता है तो सम्पूर्ण जवाबदेही मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर.....

(सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद)

अभ्यर्थी का नाम.....

नोट :- मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर/राजपत्रित अधिकारी में से किसी भी एक से सत्यापित करावें।

आवण्टत अध्यापक शल्ला संस्थान/संस्था में उपस्थलत के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची :

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	आवेदक द्वारा घोषणा	
2	सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रति	
3	सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रति	
4	मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
5	जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
6	अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/ आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, जो कि 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, की प्रति	
7	शारीरिक दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।	
8	विधवा महिला की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो।	
9	तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ-पत्र, जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो।	
10	भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।	
11	टाडा/सहरिया से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।	
12	अध्यापक शल्ला संस्थान/संस्था आवंटन पत्र की प्रति।	
13	अन्य	
14	कुल संलग्नकों की संख्या	

आवेदक का हस्ताक्षर

Pre D.El.Ed Examination, 2019
प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2019
(Formerly Known as B.S.T.C)

आवेदक कृपया ध्यान दें:-

- 1- आवेदक अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र को सम्भाल कर रखें। इसे निर्देशानुसार काउंसलिंग के उपरांत आवंटित संस्थान/संस्था में जमा कराना होगा। इसे कार्यालय समन्वयक, प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2019 एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर को सीधे ही डाक द्वारा नहीं भेजें। ऐसे भेजे गये आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
- 2- पात्रता आप स्वयं सुनिश्चित करें। सफल होने पर भी अपात्रता की दशा में आपका प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं परीक्षा शुल्क राशि नहीं लौटायी जायेगी।
- 3- परीक्षा में OMR Sheet को भरने के लिए काली/नीली स्याही के बॉल पॉइन्टेड पेन का ही प्रयोग करें।
- 4- Negative Marking (नकारात्मक अंकन) नहीं होगी।
- 5- इस प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय (Refundable) नहीं है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो आवेदक पूर्ण पात्रता रखते हैं, केवल वे ही आवेदन करें।
- 6- जिले का नाम एवं संकेतांक की सूचना आवेदन-पत्र में दी गयी है। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथापि केन्द्र आवंटन के सम्बन्ध में समन्वयक का निर्णय अन्तिम होगा।
- 7- परीक्षा परिणाम के पश्चात् ऑन-लाइन काउंसलिंग के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्था/संस्थानों का आवण्टन होगा। काउंसलिंग के समय आपको अध्यापक शिक्षा संस्था/संस्थानों का, जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे, वरीयता से ऑन लाइन प्रक्रिया द्वारा चयन कर लॉक किया जावे।

अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना

Pre D.El.Ed Examination, 2019

**प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2019
(Formerly Known as B.S.T.C)**

- ऑन लाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता, आयु व सम्बन्धित संवर्ग की पूर्ण योग्यता रखते हैं।
- परीक्षा में भाग लेने व वरीयता प्राप्त करने के पश्चात् भी योग्यता नहीं रखने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग अथवा प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।
- अभ्यर्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र में फोटो हेतु रिक्त स्थान पर ऑन लाइन अपलोड किये गये फोटो का मूल फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर वीक्षक के सामने करना होगा। इसकी जांच सक्षम स्तर पर की जायेगी।
- ऑन लाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी इस अधिसूचना को सावधानीपूर्वक पढ़ें और समझ लें। किसी तरह का संदेह होने पर कार्यालय की हैल्प लाइन (0151-2226570) से सम्पर्क कर सन्देह का निराकरण किया जा सकता है। इस अधिसूचना की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
- अभ्यर्थी समय - समय पर अधिकृत वेब साइट www.http://education.rajasthan.gov.in/elementary अथवा लिंक का अवलोकन करें एवं दिये गए निर्देशों की पालना करें।

अति महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता, पवित्रता एवं गरिमा बनाये रखनी होगी। नकल करने, नकल करने का प्रयास करने अथवा अनुचित/वर्जित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करने अथवा प्रयोग करने की कोशिश करना वर्जित होगा तथा इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में संलिप्त पाये जाने पर परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसे अनुचित कार्यों में मदद करने वालों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ऐसा कृत्य करने वालों को 3 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

नोट:- परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अथवा किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरण का परीक्षार्थी के साथ लाया जाना सख्त वर्जित है।